RAJYA SABHA

Friday, the 26th May, 1995/
5th *Jyaistha,* 1917 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock, The Deputy Chairman in the chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*721 *[The Questioner (Shri S. Muthu Mani) was absent. For answer vide column..........infra]*

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त किया जाना

*722. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी:**†
श्री राघव जी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने हाल ही में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को काफी संख्या में जबरन सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया है अथवा उन्हें जबरन सेवानिवृत्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इनमें से कुछ कर्मचारियों को इसलिए भी दण्डित किया गया कि उन्होंने इस संगठन में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबध में प्रधान मंत्री को खुले पत्र लिखे थे; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों एवं उनके द्वारा उद्घाटित भ्रष्टाचार का ब्यौरा क्या है और उन्हें इसके लिए दण्डित करने का मूलाधार क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विभागीय जांचों में रिपोर्टों के आधार पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने वित्तीय अनियमितताओं और अशोभनीय आचरण के अन्य कृत्यों से संबंधित आरोपों के लिए वर्ष 1994 के दौरान अपने दो कर्मचारियों और 1995 के दौरान दो कर्मचारियों को अनिवार्य सेवा-निवृत्ति का बड़ा दण्ड दिया है।

†सभा में यह प्रश्न श्री सुन्दर सिंह भंडारी द्वारा पूछा गया।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: उपसभापति जी, मैंने जब कम्पलसरी रिटायरमेंट हुआ या नहीं, यह पूछा तब तो ना में जवाब दिया और बाद में इन्होंने यह माना है कि 1994 में दो कर्मचारियों को और 1995 में दो कर्मचारियों को कम्पलसरी रिटायर किया है। तो आखिर, यह कम्पलसरी रिटायरमेंट केन्द्रीय विद्यालय संगठन में इन्हीं दो वर्षों में हुआ है या पहले भी भी हुए हैं? अगर अभी हुए हैं तो इसका इमीडिएट प्रोवोकेशन क्या है? आपने जो कारण दिए हैं उनमें फाइनेंसियल इरेगुलरीटीज एंड एक्ट आफ अनबिकमिंग कंडक्ट हैं। तो क्या अनबिकमिंग कंडक्ट की कोई परिभाषा है? क्या किसी कर्मचारी द्वारा प्रधानमंत्री को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संबंध में शिकायती पत्र लिखना यह भी अनबिकमिंग कंडक्ट है और अगर फाइनेंसियल इरेगुलरीटीज है तो इसकी जांच हुई और जिस पर दोषारोपण किया गया है, उसको अपनी सफाई का पूरा अवसर मिला या नहीं मिला?

कुमारी शैलजा: मैडम, पहली बात यह है कि इसके जवाब में कोई गलती नहीं है। आपने पूछा है कि whether a decision was taken to compulsorily retire a huge number, that is why the answer is 'No', because a huge number of employees were not retired, only a couple of employees in 1994.....

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: ह्यूज नंबर का मतलब क्या है?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Huge means a lot of employees.

कुमारी शैलजा: दो, 1994 में और दो, 1995 में यह ह्यूज नंबर नहीं है। I don't think it is a huge number, considering that there are about 43,000 employees in the Kendriya Vidyalaya Sangathan. So, that does not constitute a huge number. But, whenever such a decision is taken, they are given a free and fair hearing and they are given time to reply and appeal and considering all these things, the punishment is given. As far as writing open letters to the Prime Minister is concerned, the code of conduct does say that they have to write to the appropriate authority. For anybody who is working in an institution, there is a definite code of conduct. You cannot just go and write and make wild allegations in this kind of a language; you

cannot do that. Once you are in Government, once you are a part of an organisation, you have to abide by the code of conduct of that organisation.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: उपसभापति महोदया, यह कहा गया है कि ओपन लेटर लिखा, इसका क्या मतलब है? कर्मचारी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, अब चिट्ठी लिखना ओपन लेटर हो गया। सवाल यह खड़ा होता है कि ओपन लेटर की परिभाषा क्या होगी। आपने कहा कि इरेगुलेरिटी के बारे अवसर दिया गया। यह स्पेसेफिक केस है जिस कर्मचारी के ऊपर इरेगुलेरिटी के चार्जेज़ लगाए गए, उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने जिन गवाहियों की बात कही उनको नहीं बुलाया गया और हर तरीके से उनको अवसर नहीं मिला है अपनी बात कहने का तो फिर इस तरह की जांच के आधार पर किसी व्यकित को कम्पलसरी रिटायर करना, यह कहां तक उचित है?

कुमारी शैलजा: उपसभापति महोदया, जैसे कि मैंने पहले कहा मैं समझ नहीं पा रही हूं कि क्या आप किसी पर्टिकुलर केस को यहां डिसकस करने जा रहे हैं। यह जनरल बात कर रहे हैं। जो इस तरह की चीज़ें हैं...(व्यवधान)

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: आपने जिन दो व्यक्तियों को रिटायर किया, उनकी बात मैं कह रहा हूं (व्यवधान)

KUMARI SELJA: As I said in the beginning, they have been given a fair hearing and there is a proper procedure for an inquiry. That is followed and they are always given time to appeal also if the employees so desire. They can appeal to the higher authorities and a fair hearing is given to them.

उपसभापतिः श्री गोविन्दराम मिरी।

श्री राघव जीः मेरा दूसरा नाम है (व्यवधान)

उपसभापतिः ठीक है, उनका दूसरा नाम है । श्री राघव जी।

श्री राघव जीः मुझे आपने गायब कर दिया।

उपसभापतिः नहीं आप तो कल इतना हाऊस में प्रेज़ेंट थे, आप को कौन गायब कर सकता है। मेरे पास इतना जादू थोड़े ही है।

श्री राघवजीः महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के हालात पिछले पांच वर्षों से बहुत बिगड़े है। शिक्षा का स्तर गिरा है, कर्मचारियों और अध्यापकों के खिलाफ विद्वेश की भावना से कार्य किया जाता है, उनकी कठिनाइयों को सुना नहीं जाता है। यहां तक कि उनको आत्मदाह के लिए उतरना पड़ा, सड़कों पर आना पड़ा और आमरण अनशन् भी करना पड़ा। इसके बावजूद भी आप उनके साथ द्विपक्षीय बात करने के लिए तैयार नहीं है। माननीय अर्जुन सिंह जी जब मंत्री थे तब तो मैं मान सकता था लेकिन अब तो मंत्री जी बदल गये हैं और माधवराव सिंधिया जी आ चुके हैं। हम यह विश्वास करते हैं कि वे न्यायप्रिय हैं। इसके बावजूद भी रवैया उसी प्रकार का चल रहा है। आपने कहा है कि 1995 में दो कर्मचारी सेवा निवृत्त किये गये। क्योंकि उनमें से एक कर्मचारी ऐसे है जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के संयोजक है, जिनको पूर्व में आपके संगठन द्वारा बदले की भावना से सेवा निवत्त किया गया था। कोर्ट ने आपके आदेश को निरस्त करके उनको पुनः सेवा में रखा। उनके ऊपर इतने एरियर्ज़ निकले हैं कि जो आपने एक लाख इक्कीस हजार का आरोप लगाया कि उनके ऊपर बकाया है, आपके ही प्रिंसिपल ने आपके संगठन को लिखा है कि श्री हीरा लाल सोनार को 3464 रुपया देना अभी बाकी है वह पैसा काटने के बावजूद भी। आरोप में सब से बड़ा आरोप यह है। दूसरा आरोप यह है कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखा।

"Making correspondence directly to the Prime Minister, Cabinet Ministers and political figures."

अब वह ज्वाइंट एक्शन कमेटी के संयोजक रहे हैं, कर्मचारियों की कठिनाइयों के बारे में लिख सकते हैं या भ्रष्टाचार की बात उजागर करना क्या वास्तव में अपराध है? (व्यवधान)

उपसभापित : अब जवाब देने दीजिये।

श्री राघवजीः मेरा प्रश्न यह है कि क्या उस व्यक्ति को सेवा निवृत्त किया गया है जिसका रिटायमेंट दिनांक 31.7.95 को था और आपका आदेश जारी हुआ है 25.4.95 को, केवल तीन महीने बाकी रह गये थे? पूर्व में भी आपने उनको टरमिनेट किया था। वह हाई कोर्ट से जीत चुका है। यह बदले की भावना क्या इस प्रकार से चलती रहेगी? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकरण पर पुनःविचार करके और न्याय दिलाने का कष्ट करेंगे?

कुमारी शैलजा: महोदया, पहले तो मैं आपसे गाइडेंस चाहूंगी।

Are you going to discuss one particular case here?

THE DEPUTY CHAIRMAN: In the House, as I said, we discuss policy. *(Interruptions)*

KUMARI SELJA: Then the hon. Member wants me to answer about one particular case which....*(Interruptions)*...

श्री राघवजी: प्रश्न के उत्तर में यह माना गया है कि दो आदमी निकाले गये और यह इन दो में से एक है। इनके उत्तर से ही यह प्रश्न निकलता है (व्यवधान)

KUMARI SELJA: Madam, I want your protection. As I said in the beginning, they have been given a fair hearing. If the employee so feels that he is not given a fair hearing, अनफेयर कुछ पनिशमेंट मिला है He can always appeal. There is a proper procedure. He can always appeal to the higher authorities.

SHRI GOVINDRAM MIRI: Madam, I seek your protection. *(Interruptions)*

उपसभापति: कोई वजह थी। बैठिये आप। अभी मंत्री जी ने जवाब दिया । एक पॉलिसी की बात है। देखिये हम लोगों को उचित नहीं लगता कि हम इंडीविजुयल्ज़ पर कोई बात करें, किसी व्यक्ति की बात करें।

भंडारी जी का सवाल था कि कोई ऐसा आपने निर्णय लिया है, ऐसी पालिसी बनायी है। उन्होंने कहा कि नहीं। कोई दो लोगों को अगर रिटायर किया है, दो-दो लोगों को तो कुछ उनके कोड आफ कंडक्ट के लिहाज से उन्होंने वायोलेट किया है, वह मंत्री जी ने यहां जवाब दे दिया। उसी के संबंध में बात पूछिए। अब 42 हजार इंप्लायीज है अगर एक-एक का जवाब देंगी तो मुझे लगता है कि सारा साल इसी पर हमें पार्लियामेंट का सेशन चलाना पड़ेगा।

श्री राघवजी: दो में से एक व्यक्ति की बात की जा रही है। उतनी ही बात थी।

उपसभापति: नहीं। एक-एक का करेंगे तो ...(व्यवधान) सब पूछेंगे। आप बोलिए।

SHRI GOVINDRAM MIRI: Madam, the code of conduct is being used in a *mala fide* way against the employees. It is being used like the TADA. They have been removed from their services or have been retired from their services revengefully. Madam, it is on record that the General Secretary of the All India Kendriya Vidyalaya Teachers' Association and the Convenor or the Joint Action Committee of the KVS Association of Employees had written some open letters detailing some multifaceted corruption in the KVS. Some of these were forwarded by the Members of Parliament with their notes thereon. Instead of ascertaining the veracity of these complaints, these were sent to the accused who sat in judgment over complaints against themselves and announced that they were not guilty. This is fantastic.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please ask the question.

SHRI GOVINDRAM MIRI: More fantastic is the fact, Madam, that the author of these complaints has been penalised. If this is the procedure to deal with corruption, you will definitely not root out the corruption. The author had offered to resign if the complaints were not substantiated. But the Ministry was not bold enough to accept the challenge. I want to ask the Hon'ble Minister whether she will *suo motu* review the order of retiring him compulsorily, and, if so, when, and, if not, whether she will give the reasons therefor.

कुमारी शैलजा: इनके प्रश्न का भी मैं वही जवाब देती हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: She has already answered that.

कुमारी शैलजा: अभी 45 डेज उनके नहीं हुए हैं। Madam, he can go in for an appeal. If they are substantiated...*(Interruptions)*

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: मैडम, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदया से सबसे पहले यह जानना चाहूंगी कि क्या वे कोई ऐसा आदेश देंगी जिसके तहत के॰वी॰एस॰ के अधिकारियों को इंप्लायीज एसोसिएशन ने भ्रष्टाचार का

जो लिखित आरोप दिया है उस पर जांच करवाई जा सके?

कुमारी शैलजा: अगर करप्शन के कोई चार्जेज है तो उनको जरूर देखा जाता है और जरूरत पड़ी तो उनको पनिश भी किया जाता है। Madam, I want to go on record here. If the hon. Members feel that...(*Interruptions*)...If there is any particular case or whatever, they can write to me and I will reply. If need be, I will order an inquiry. We want a fair inquiry into everything.

उपसभापति: इंडिवीजुअल केसेज के बारे में आप हाउस में बात मत कीजिए। हम लोगों को शोभा नहीं देता है। श्री शंकर दयालजी।

श्री शंकर दयाल सिंह: महोदया, यह प्रश्न जो है यह रिटायरमेंट के इश्यू को लेकर है। सरकार ने सभी जगहों में स्वेच्छा से रिटायरमेंट की, गोल्डन शेक हैंड की एक नीति चलायी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी इस तरह की कोई योजना है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई शिक्षक स्वेच्छा से रिटायरमेंट चाहता है तो सरकार उसकी अनुमति उसे देगी? अगर देगी तो किन शर्तों पर देगी?

कुमारी शैलजा: ऐसा तो कोई नहीं है। अगर कोई जानना चाहते है तो उनका केस I suppose that can be done. But, I donot know what he means by the Golden Hand-Shake Scheme in the KVS.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What he means to say is that there is such a scheme in some of the industries.

KUMARI SELJA: We do not have any such scheme. If any employees wants to go in for voluntary retirement, his case can be examined as per the rules.

श्रीमती सरला महेश्वरी: धन्यवाद, उपसभापति महोदया। मंत्री महोदया ने जवाब में यह कहा है कि किसी भी संगठन की अपनी एक आचार संहिता है। मैं इस बात को मानती हूं कि निश्चित रूप से किसी भी संगठन की एक आचार संहिता होती है। एक जनतंत्रिक देश में रहने वाले नागरिक के भी अपने अधिकार और कर्तव्य होते हैं। आज इन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी संगठन के व्यक्ति या शिक्षक आंदोलन करते हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या शिक्षक आंदोलन करके, शिक्षक संगठन का एक नेता अगर प्रधान मंत्री को खुला पत्र लिखता है।
तो वह प्रधान मंत्री को खुला पत्र केन्द्रीय विद्यालय संगठन में चल रहे भ्रष्टाचार और उसकी नीतियों के संबंध में होता है। आज महोदया, अखबार में आया है कि कांग्रेस के तीन सांसदों ने प्रधान मंत्री को खुला पत्र लिखा है कि कांग्रेस में जो भ्रष्ट मंत्री हैं, उनको हटाया जाए, तो क्या यह अपराध है? तो मैं यह जानना चाहती हूं...(व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is no parity.

श्रीमती सरला महेश्वरी: महोदया, मैं यह जानना चाहती हूं कि प्रधान मंत्री को खुला पत्र लिखना राष्ट्रीय अखंडता के विरोध में कैसे आ जाता है?...(वयवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: She has already answered that.

SHRIMATI SARALA MAHESHWARI: What I asked she has not answered.

श्रीमती सरला महेश्वरी: मैडम, मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहती हूं कि इनकी जांच पद्धति क्या है? अगर किसी विशेष आफिसर के खिलाफ अभियोग लगाया जाता है और वापस उस अभियोग की ओरिजनल कापी उसी आफिसर को निर्णय करने के लिए दे दी जाती है कि वह निर्णय करेगा, तो यह क्या है? यह जांच की कौन सी पद्धति है, यह मुझे समझ में नहीं आया? संगठन की जांच की पद्धति क्या है? अगर एक्यूज्ड ही निर्णय करेगा, अपराधी ही अगर अपना न्यायाधीश बन जाएगा तो महोदया, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ना हमारे देश में...(व्यवधान) गुजरने के समान है।...(व्यवधान)

SHRI JOHN. F. FERNANDES: Madam, when this institution was mooted by the Government, we were happy, Madam, that this is going to be an ideal educational institution under the Government. When it was conceived, the idea was very good. But, at the moment, this institution is run like a Government department, Madam. There is harassment

because most of them approach us. These people are not those who retired voluntarily, but who were forcibly retired. There was charges that these people are transferred, by way of harassment, from one region to another. May I know from the hon. Minister whether it is an all-India cadre or it is a regional cadre. Or, have they any vigilance Committees at the State Level to go into allegations as we have in various Government departments?

KUMARI SELJA: Madam, each case is taken up separately. Whenever there are reported cases of harassment, we enquire into them. As I said in the beginning, this is a very huge organisation of about 40,000 employees and no doubt, some cases can be there where, probably, there is some harassment. But if it comes to light, if it comes to our notice, we try to take care of that. But as far as transfers are concerned, it is done on administrative grounds, not as harassment. But if there is any particular case which the hon. Member is aware of, we would certainly like to take it up. We won't like out employees to be unhappy on this account. And as far as transfers are concerned, yes, Principals are transferred from one region to another, PGT teachers also on their request or on other grounds can be transferred because the schools are all over the country. We do have a system of vigilance also.

*723. [*The Questioners (Shri Ajit P.K. Jogi and Shri Moolchand Meena) were absent for answer vide Column.........infra]*

† The Question was actually asked in the floor of the House by Shri Chimanbhai Mehta.

Dam height of SSP

*724. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:†
SHRI G.G. SWELL:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the further construction of Sardar Sarovar Project has been at standstill due to divergent views on the height of the Dam and also due to pending solution of the resettlement of the oustees;

(b) if so, whether Government propose to review the matter; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) No, Sir. The work on the Project is continuing.

(b) and (c) Do not arise.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Madam, answer that has been given is absolutely misleading. They are playing with words. The reality is that the construction at Sardar Sarovar Project has suffered. If, now, you have started a little bit during the last two to three months, it does not mean that it was not a standstill. Previously, the approved schedule was that the dam height would be raised to 110 metre by June, 1995. Subsequently, because of the oustees problem, it was scaled down to 87 metres. At the moment, it is around 80 metres. Had it been completed up to 87 metres, water would have flown into the canal of Gujarat. At the present elevation of 80 metres, water cannot flow into the canal of Gujarat. Therefore, to say that the work on the project is continuing is not correct. That way, even if you put up a small bridge, you can say that the work is continuing. As per the original schedule, the height was 110 metres. Thereafter, as I said, it